कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0 / युगलपीठ / ——— / 2026 दि0 लखनऊः अप्रैल 29, 2026

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 395 / 2026 दिनांक 18.04.2026 के द्वारा माह मई, 2026 में **जनपद लखनऊ** में युगलपीठ का गठन **दिनांक 15.05.2026 से 16.05.2026** तक किया गया है। उपरोक्त युगलपीठ में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2 लखनऊ को नामित किया गया है।

सदस्य, पीठ–2 लखनऊ ने पत्र संख्या 119 दिनांक 29.04.2026 द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा दिनांक 11.05.26 से 25.05.26 तक उपार्जित अवकाश आवेदित किया गया है, इसलिए दिनांक 15.05.2026 से 16.05.2026 तक गठित युगल पीठ में उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामित करने की कृपा करें।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 395 / 2026 दिनांक 18.04.2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, **जनपद लखनऊ** में **दिनांक 15.05.2026 से 16.05.2026 तक गठित युगलपीठ** में सदस्य, पीठ–2 लखनऊ के स्थान पर सदस्य, पीठ–3 लखनऊ को नामित किया जाता है । उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 / 29.04.2026
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 445 / 2026 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2 व 3 लखनऊ ।
2– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
3– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक (विवरण / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।